

Name of the project – मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणताल से अधियारगढी सनगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

वनभूमि की मांग का औचित्य एवं विवरण

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणताल से अधियारगढी सनगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण में इस क्षेत्र में रहने वाले को यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र में प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 5377 / III (2) / 13-13 (मुं0मं0घो0) / 2012 दिनांक 14 जनवरी 2013 द्वारा 8.00 कि.मी. +12.00 मी0 स्पान लम्बाई हेतु रु 101.36 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है।

यह मार्ग चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के किमी0 16 से प्रारम्भ होता है। तथा मार्ग की कुल लम्बाई 4.775 किमी0 है। इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3700.00 मीटर लम्बाई में आरक्षित वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 2.520हे0, तथा 1075.00 मीटर लम्बाई में नाप भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.8225हे0 है, की आवश्यकता है।

इस मार्ग के नव निर्माण से क्षेत्र के समुचित विकास के साथ-साथ स्थानीय जनता लाभान्वित होगी तथा ग्राम क्षेत्रवासियों के लिये यातायात की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। मार्ग निर्माण हेतु उक्त प्रस्तावित वन भूमि लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित की जानी आवश्यक एवं न्यूनतम है।

इस मार्ग का संयुक्त निरीक्षण 7.00 मीटर चौड़ाई में पेड़ों की गिनती के साथ प्रस्तुत किया गया, जिसमें कुल 605 वृक्ष आ रहे हैं, जिसमें बॉज एवं बुरांश प्रजाति के 398 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।) प्रस्ताव में वनभूमि हस्तान्तरण हेतु मार्ग की चौड़ाई 7.00 मीटर ली गयी है।

मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची निम्न प्रकार है—

क्र0सं0	ग्राम	कोड	आवादी
1	सौड (सनगांव)	043898	1440

मार्ग पर पड़ने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल — 2.520हे0 (लम्बाई 3600.00 मीटर)
2. नाम भूमि का क्षेत्रफल — 0.8225हे0 (लम्बाई 1175.00 मीटर)

अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
चम्बा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
चम्बा।

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
चम्बा।